

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 77/2025

राजस्थान सरकार जरिये राहुल कुमार वेदवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री प्रदीप ठाकुर पुत्र श्री राजेश ठाकुर

मैसर्स जय सांवरिया सेठ नाश्ता, कपालेश्वर महादेव मंदिर, पुष्कर, पुलिस थाना पुष्कर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.10.2025 को जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल श्री मुकेश जेलिया पुत्र श्री मदन लाल मैसर्स जय माता टी स्टॉल, अम्बेडकर सर्किल पुष्कर पहुँचे। जांच दल में राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव सम्मिलित थे। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों (मय 3.2 किग्रा एलपीजी) व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के

3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स भारत गैस एजेन्सी पुष्कर का कार्मिक श्री महिपाल बिशनाई पुत्र लाधुराम बिशनाई निवासी वार्दमला फलौदी को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
29865	IOCL	15.7	18.9	3.2

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 3.2 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 30.10.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस

जिला कलक्टर
अजमेर

सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 3.2 किलोग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 3.2 किया एलपीजी को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 30.10.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 3.2 किया एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।


(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

